



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- **508** / 34व्यक-स्थाना0-सा0 / 2023

दिनांक:- **15** / 04 / 2023

—:कार्यालय ज्ञाप:-

राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1, वर्ष-2018) के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-672/34व्यक-स्थाना0-सा0/2018 दिनांक-31.03.2018, ज्ञाप संख्या-40/34व्यक-स्थाना0-सा0/2020 दिनांक-04.01.2020, ज्ञाप संख्या-591/34व्यक-स्थाना0-सा0/22 दिनांक-26.04.2022 एवं ज्ञाप संख्या-293/34व्यक-स्थाना0-सा0/22 दिनांक-24.02.2023 द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के दुर्गम एवं सुगम स्थलों के चिह्निकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। स्थानान्तरण सत्र-2023 के स्थानान्तरण हेतु सुगम/दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण को इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-437/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023 दिनांक-29.03.2023 द्वारा यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं एवं इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-436/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/23 दिनांक-29.03.2023 द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से किये जाने वाले श्रेणी 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन किया जा चुका है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने से पूर्व इस कार्यालय के पत्रसंख्या-433/34व्यक-स्थाना0-सा0/23 दिनांक-29.03.2023 के द्वारा कार्मिकों के डाटा का परीक्षण कर HRMS Portal पर दिनांक-30.03.2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश के साथ-साथ डाटा लॉक करने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष-2023 हेतु स्थानान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा HRMS Portal पर ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा-सेवा विवरण के आधार पर समूह-'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-439/34व्यक-स्थाना0-सा0/23 दिनांक-29.03.2023 द्वारा समितियों का गठन किया गया है, समितियों द्वारा प्रस्तुत पात्रता सूची एवं रिक्तियों का विवरण को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-441/34व्यक-स्थाना0-सा0/23 दिनांक-31.03.2023 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है। जिसके क्रम में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूची में यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पायी जाती है तो 03 दिन के भीतर अपने कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के माध्यम से [Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in](mailto:nimisingh.pwd@uk.gov.in) पर विभागाध्यक्ष कार्यालय के संज्ञान में लाने का दायित्व सम्बन्धित कार्मिक एवं सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

(Handwritten Signature)

(उपेन्द्र सिंह रावत)

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

01. प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रतिलिपि:- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
04. प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा HRMS Portal पर की गई डाटा इन्ट्री के अनुसार पात्रता सूची तैयार की गयी है। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो इसके समयान्तर्गत संशोधन हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे:-

(Handwritten Signature)

- (i) समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- (ii) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- (iii) अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान-प्रथम/द्वितीय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- (iv) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
- (v) अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची दिनांक-15.04.2023 तक लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें (संलग्न सूची)।
- (vi) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- (vii) प्रशासनिक/वरिष्ठ/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने-अपने वर्ग से सम्बन्धित सूची आई0टी0 वर्ग में सम्यक अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (viii) गार्ड पत्रावली हेतु।

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान)
15/04/23